हिन्दुस्तान

नकली दवा: 800 रुपए में बिकती थी 15 रुपए की स्ट्रिप, 50 प्रतिशत तक कमीशन देते थे डाक्टरों और मेडिकल स्टोर्स को

वरिष्ठ संवाददाता ,आगराAmit Gupta
Wed, 10 Feb 2021 11:30 AM

आगरा में पकड़े गए नकली दवाओं के सौदागर लोगों की जान जोखिम में डालकर करोड़पति बने हैं। सौदागरों ने बताया कि वे 15 रुपए में 10 गोलियों की एक स्ट्रिप तैयार करते थे। इसे 800 रुपए कीमत तक में बेचा जाता था। इस खेल में डाक्टर, झोलाछाप और मेडिकल स्टोर्स को मोटा कमीशन दिया जाता था।

औषधि विभाग ने आगरा से पकड़े गए धीरज और प्रदीप राजौरा बंधुओं और मथुरा से पकड़े गए धीरज शर्मा से मंगलवार को विस्तृत पूछताछ की। राजौरा बंधुओं ने बताया कि वे नकली दवाएं बनाकर उन पर तगड़ी एमआरपी डालते थे। अधिक प्रयोग होने वाली दवाओं की नकल तैयार करते थे। उदाहरण के लिए आगरा और मथुरा में बरामद गाबा एक्सएनटी दवा की 10 टैबलेट की स्ट्रिप वे 15 रुपए में तैयार कर लेते थे। जबकि इस पर अधिकतम खुदरा मूल्य 799.95 रुपए अंकित किया जाता था। इसे आधी कीमत यानि 400 रुपए प्रति स्ट्रिप के हिसाब से डाक्टरों को बिक्री किया जाता था। डाक्टर 800 रुपए स्ट्रिप के हिसाब से मरीजों को देते थे। इसी हिसाब से देहात के झोलाछापों, मेडिकल स्टोरों को दवाइयां बेची जाती थीं। इतना कमीशन किसी दवा कंपनी से नहीं मिलता। लिहाजा डाक्टरों से लेकर मेडिकल स्टोर आसानी से तैयार हो जाते थे। यह दवाएं किन डाक्टरों और मेडिकल स्टोर्स को बेची गई हैं, राजौरा बंधुओं ने इसे बताने से इंकार कर दिया।

50 रुपए प्रति बाक्स मिलता था मेहनताना

मथुरा से गिरफ्तार सौरभ ने बताया कि वह धीरज को सिर्फ छह माह से मुंबई की फर्म लाइफ रेमेडीज के मालिक बतौर जानता है। उनके लिए वह फूड प्रोडक्ट, न्यूट्रीशियंस बनाता है। इनके बिल राजौरा डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से काटे जाते हैं। गाबा एक्सएनटी नामक दवाई की ब्लिस्टर पैकिंग के लिए टैबलेट, प्रिंटेड एल्युमिनियम की फौइल, सादा फौइल, रबर स्टीरियो और मशीन आपरेटर लेकर प्रदीप राजौरा फैक्ट्री में आता था। पैकिंग के बाद सारा सामान लेकर चला जाता था। इसके बदले में उसे 50 रुपए प्रति बाक्स मिलता था। सौरभ ने बताया कि लालच में आकर उसने यह काम किया।

प्रदीप है नकली फैक्ट्री का मास्टरमाइंड

आगरा से पकड़े गए धीरज राजौरा ने ड्रग विभाग को बताया कि सारा काम उसका छोटा भाई प्रदीप राजौरा ही करता था। वही दवाइयां और पैकिंग आदि का सभी सामान लाता था। दवाइयां देहात के झोलाछापों और शहर के डाक्टरों को अधिक कमीशन देकर बेची जाती थीं। प्रदीप राजौरा ने बताया कि स्ट्रिप पर डाले गए मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के मुंबई और हिमाचल प्रदेश के पते फर्जी हैं। ऐसा लोगों की आखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। औषधि निरीक्षक ने गूगल पर इन कंपनियों के नाम डाले मगर इस तरह की कोई कंपनी सर्च नहीं हो पाई। दोनों स्थानों से कुल 12 नमूने लिए गए हैं।

तीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

औषधि विभाग ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को सिकंदरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इनमें आगरा से पकड़े गए दोनों राजौरा बंधु हैं। जबकि तीसरा सौरभ शर्मा मथुरा की अवैध फैक्ट्री का मालिक है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। औषधि निरीक्षक नरेश मोहन ने बताया कि इनके खिलाफ नकली दवाओं का निर्माण करके जान से खिलवाड़ करने जैसे अपराधों में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी से विस्तृत पूछताछ की गई। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। तीनों को सिकंदरा पुलिस को सौंपा गया है।

Source: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-counterfeit-medicine-strip-of-15-rupees-was-sold-for-800-rupees-50-percent-commission-was-given-to-doctors-and-medical-stores-3845415.html